72% करदाताओं ने नई कर व्यवस्था को चुना

[स्रोत : द हिंदू]

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बताया कि **वर्ष 2023-24 में 72% आयकर (आईटी) करदाताओं** ने **नई कर व्यवस्था** को चुना।

- वर्ष 2024-25 के लिये दाखिल किये गए **7.28 करोड़ आईटी रिटर्न में से 5.27 करोड़ नई व्यवस्था** के तहत थे।
- **आयकर रिटर्न दाखिल करने में वृद्धि: आकलन वर्ष 2024-25** में दाखिल किये गए रिटर्न में **7.5% की वृद्धि** देखी गई, जिसमें पहली बार फाइल करने वालों से लगभग **58.6 लाख रिटर्न आए**, जो कर आधार के विस्तार का संकेत है।

कर संरचना में परिवर्तन:

- नई कर व्यवस्था को डिफॉल्ट विकल्प बनाया गया, जिसमें **कर स्लैब 6 से घटाकर 5 कर दिये गए।**
- कर-मुक्त आय सीमा **2.5 लाख रुपए से बढ़कर 3 लाख रुपए** हो गई।
- नई व्यवस्था के तहत कर छूट की सीमा **5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए** कर दी गई।
- मानक कटौती **50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए** कर दी गई।
- भारत का **शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह वर्ष 2023-24 में 17.7% बढ़कर 19.58 लाख करोड़ रुपए** तक पहुँच गया, जिसका मुख्य कारण व्यक्तिगत आयकर में वृद्धि है, जो अब कुल कर राजस्व का **53.3% है, जो वर्ष 2022-23 में 50.06%** था।
- **प्रत्यक्ष कर** वे कर हैं, जो एक व्यक्ति सीधे सरकार को देता है, जैसे आयकर, मतदान कर, भूमि कर, निगम कर और व्यक्तिगत संपत्ति कर।

//

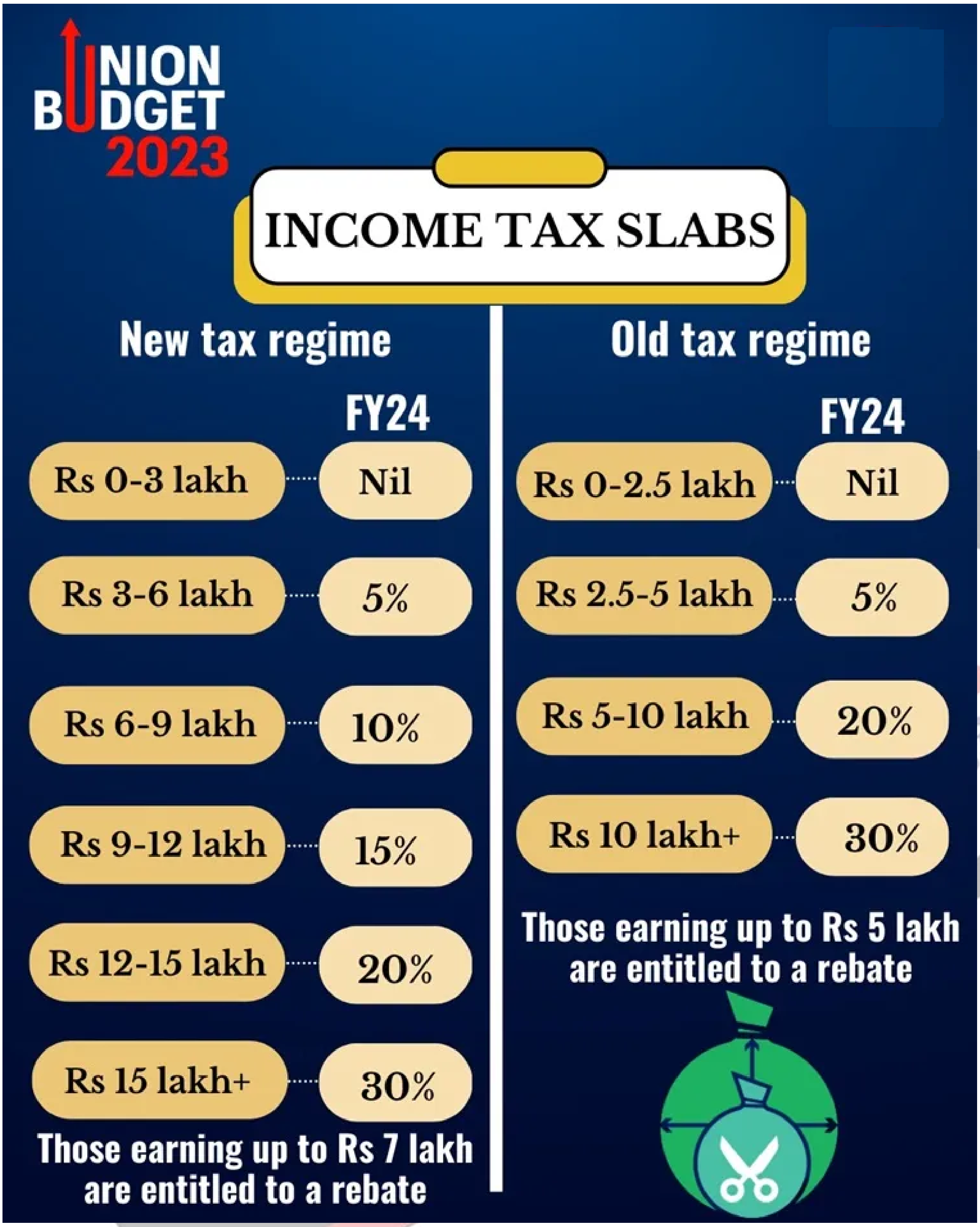

और पढ़ें: वयक्तगित आयकर और अप्रत्यक्ष कर का बढ़ता हिस्सा